

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

चुनाव अत्यावश्यक

क्रमांक:-प.12(6)साप्र/2/2023

जयपुर, दिनांक: 27.12.23

—: आदेश :-

राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी घोषणा के तहत राज्य के समस्त जिलों (प्रतापगढ़ एवं श्रीगंगानगर को छोड़कर) में पंचायतीराज संस्थाओं में पंचायत समिति सदस्यों, सरपंच व पंच एवं उपसरपंच के रिक्त पदों पर उप चुनाव माह जनवरी, 2024 में करवाये जा रहें हैं (प्रति सलंगन)। उक्त पंचायतीराज संस्थाओं में मतदान दिनांक 10.01.2024 (बुधवार) को होगा। अतः राज्य के समस्त जिलों (प्रतापगढ़ एवं श्रीगंगानगर को छोड़कर) के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालयों में मतदान दिवस दिनांक 10.01.2024 (बुधवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु संबंधित जिला कलक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

साथ ही पुनर्मतदान की स्थिति में भी जहां पुनर्मतदान होगा उस मतदान क्षेत्र/क्षेत्रों में पुनर्मतदान की तिथि को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु भी संबंधित जिला कलक्टर, (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

सलंगन:- उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(मनमोहन गौड़)
उप शासन सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक:एफ. 7(2)(5)/पंचा/रानिआ/2023/5480

दिनांक: 28.12.2023

प्रतिलिपि समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, (कलक्टर)(प्रतापगढ़ एवं श्रीगंगानगर को छोड़कर) राजस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



(अंजू वर्मा)

सहायक सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग